

## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-68/2019-20

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-858(ii) दिनांक-02/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. हल्का कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार आवेदक एवं क्रेता जिला-राँची थाना-सोनाहातु के क्रमश मगनडीह एवं पारमडीह के निवासी है तथा दोनो जाति के कुरमी है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा-46(1)b के अन्तर्गत आते है। आवेदित भूमि मौजा-टोड़ांग, थाना सं०-45, खाता सं०-20, प्लॉट सं०-47,48, रकबा-33.5 डी० का प्लॉट वार रकबा आवेदन पत्र में दर्ज नहीं है। अतः बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

### भूमि का विवरण

| मौजा    | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा     |
|---------|---------------|----------|-----------|----------|
| टोड़ांग | सोनाहातु/445  | 20       | 47, 48    | 33.5 डी० |

लेखापित एवं संशोधित।

*8-20/12*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।

*8-20/12*  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।